



2026:AHC:167039

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4725/2026

आदित्य यादव

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विरोधी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : कमल किशोर मिश्रा, कविता निषाद, संजीव कुमार

विरोधी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.,

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कमल किशोर मिश्रा और श्री रजनीकांत राय, राज्य के लिए विद्वान एजीए को सुना।
2. तत्काल जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 606/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), पुलिस स्टेशन- कैम्पियरगंज, जिला गोरखपुर, के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया, आवेदक मृतक का भाई है और आरोप के अनुसार उसकी बहन यानी मृतक एक पिंटू यादव के साथ गई थी, इसलिए उसने उसकी हत्या की और इसलिए यह ऑनर किलिंग का मामला है। वह आगे प्रस्तुत करता है, अभियोजन पक्ष के आवेदक के अनुसार उसने स्वयं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया और यहां तक कि उसके द्वारा दी गई सूचना पर मृतक का शव बरामद किया गया, लेकिन पुलिस के समक्ष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आवेदक के इकबालिया बयान और मृतक के शव की बरामदगी के अलावा आवेदक के खिलाफ कोई अन्य सबूत नहीं है।

4. वह आगे प्रस्तुत करता है, वर्तमान मामले में आवेदक 07.10.2025 से यानी पिछले नौ महीने से अधिक समय से जेल में है।

5. वह अगला प्रस्तुत करता है, इसलिए मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

6. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया, यह ऑनर किलिंग का मामला है और आवेदक ने मृतक की हत्या कर दी जो उसकी बहन थी और आवेदक ने खुद उसकी हत्या करने के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को सूचित किया कि उसने अपनी बहन की हत्या की है और यहां तक कि उसके द्वारा दी गई सूचना पर मृतक का शव बरामद किया गया था और इसलिए आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

7. उन्होंने आगे तर्क दिया, इसलिए उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तत्काल जमानत आवेदन खारिज कर दिया जाना चाहिए।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. प्रथम दृष्टया यह ऑनर किलिंग का मामला प्रतीत होता है और आवेदक मृतक का भाई है और उसने मृतक की हत्या करने के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद अपना अपराध स्वीकार किया और यहां तक कि उसकी सूचना पर मृतक का शव बरामद किया गया।

10. इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

11. तदनुसार, तत्काल जमानत आवेदन **खारिज** कर दिया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

12. हालांकि, आवेदक पिछले नौ महीने से अधिक समय से जेल में है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसने खुद पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और ऐसा प्रतीत होता है, यह ऑनर किलिंग का मामला है, इसलिए विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह किसी भी पक्ष को कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना, अधिमानतः इस आदेश के प्रस्तुत/संचार की तारीख से छह महीने के भीतर, कानून के अनुसार सख्ती से मुकदमे को जल्द से जल्द समाप्त करे।

13. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आवश्यक अनुपालन के लिए 48 घंटे के भीतर संबंधित जिला न्यायाधीश को इस आदेश की सूचना देने का निर्देश दिया जाता है।

05.08.2026

शहरोज़

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”